न्यायालयः प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश–सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।

Spl. (SC/ST) Case No.253/2019
गौरव यादव
बनाम
राज्य सरकार

उपस्थिति :–
वास्ते आवेदक :– श्री अरूण कुमार सिंह, विद्वान अधिवक्ता।
वास्ते अभियोजन :– श्री कलानंद राम, विद्वान विषेष लोक अभियोजक।

18.10.2022

प्रस्तुत जमानत आवेदन आवेदक गौरव यादव की ओर से Spl. SC/ST Case No. 253/2019 U/S-341, 323, 307, 324, 504, 506/34 I.P.C. and U/S-27 Arms Act and 3(i)(x)of the SC/ST Act के संदर्भ में दाखिल किया गया है। आवेदक दिनांक–24.05. 2022 से न्यायिक अभिरक्षा में है। उपरोक्त आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा इस जमानत आवेदन को आज प्रचालित किया गया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि, संज्ञान के पूर्व आवेदक जमानत पर था। संज्ञान के पश्चात आवेदक को उपस्थिति हेतु कोई नोटिस नहीं मिला था। जमानतीय अधिपत्र के आधार पर आवेदक को इस वाद में दिनांक–24.05.2022 को उपस्थापना अधिपत्र के आलोक में न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया है। आवेदक उक्त तिथि से इस वाद में न्यायिक अभिरक्षा में चला आ रहा है। आवेदक के द्वारा पूर्व में इस न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में संज्ञान के पश्चात अन्य कोई जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक न्यायालय द्वारा लगाये जाने वाले सभी शर्तो का पालन करेगा।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक जमानत का विरोध करते हैं।

अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि, आवेदक जमानत पर था। आवेदक इस वाद में अनुपस्थित थे तथा सम्मन का तामिला अप्राप्त था। आवेदक के विरूद्ध जमानतीय अधिपत्र निर्गत किया गया। आवेदक को उपस्थापना अधिपत्र के आलोक में दिनांक–24.05.2022 को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदक का जमानत आवेदन स्वीकृत करते हुए आवेदक को मो0 दस हजार रूपये के दो समान प्रतिभूओं के साथ बंधपत्र दाखिल करने पर इस शर्त के साथ जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है कि –

1–आवेदक प्रत्येक तिथि को न्यायालय में सदेह उपस्थित रहेंगे।
2–आवेदक का एक जमानतदार उसका निकट संबंधी होगा।

Sd/-
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
सह विशेष न्यायाधीश, अररिया